उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–3036–औ0सं0 / 2022–4(6)अप्रे0 / 78 दिनांक: 6 अगस्त, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0, एवं केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ एवं कानपुर।

स्पीड–पोस्ट /ई–मेल

विषयः–शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत शिक्षुओं को वृत्तिका (Stipend) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0–1259–औ0सं0 / 2021–4(6)अ0प्रे0 / 78 दिनांक 13.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षुता नियम–1992 के नियमों (यथा संशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र सं0–149 / टी–5 / शि0 / प्र0प0 / 2270 / ज0सू0 / 2016, दिनांक 11 जुलाई, 2022 एवं नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक–शि0 / प्रशि0 / 2022 / 1618 दिनांक 19.07.2022 द्वारा अवगत कराया है कि कारपोरेशन के कतिपय खण्डों में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–561 दिनांक 25.09.2019 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि आई0टी0आई0 उत्तीर्ण शिक्षुओं की वृत्तिका कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–561 दिनांक 25.09.2019 के क्रम में उप शिक्षुता परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ, के पत्रांक–शि0 / प्रशि0 / नि0 / 2021 / 328 दिनांक 01.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नवत् मानदेय अनुमन्य किया गया है:–

क्र0सं0	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण अवधि में छूट	प्रशिक्षण अवधि में छूट के उपरान्त प्रशिक्षण अवधि	छूट के उपरान्त भुगतान किये जाने वाला मानदेय
1	2	3	4	5	6
1	Electrician	Two Years	One Years	One Years	7000+7000x10% =7700
2	Lineman	Two Years	One Years	One Years	7000+7000x10% =7700

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–561 दिनांक 25.09.2019 के क्रम में शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के माध्यम से प्राप्त अभियंत्रण / सामान्य स्नातक शिक्षुओं, डिप्लोमाधारी तकनीशियन शिक्षुओं एवं तकनीकी व्यावसायिक शिक्षुओं (सेण्डविच पाठ्यक्रम) को

पत्र संख्या– BT/AA/Revised Stipend/2021/940 दिनांक 28.12.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा वृत्तिका की दरें पुनरीक्षित की गयी है।

अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–561 दिनांक 25.09.2019 एवं शिक्षुता नियम–1992 (यथा संशोधित) का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0–3036–(1)–म0प्र0 (औ0सं0)/2022 तद्दिनांकः– 6/8/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण क्षेत्र),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
5. क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0एस0डी0ई0,एन0एस0टी0आई0 कैंम्पस, उद्योग नगर, कानपुर।
6. निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), 16/1ए, लखनपुर, कानपुर, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, वेब, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)